395

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 15/04/2015

संख्या :– 12/लि०से०–22–18/2014 का० 3384 / भारत का संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–

(क) यह नियमावली 'झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहलाएगी।

(ख) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 2(I)(ख) में वर्णित परीक्षा की परिभाषा को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

''परीक्षा'' से अभिप्रेत है संबंधित सेवा के संदर्भ में झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।

3. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 3(1) में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग सहायक ग्रेड/निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार तीनों सेवाओं के लिए अलग–अलग परीक्षा का आयोजन करेगा।

4. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 6 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

6 (क) सहायक ग्रेड/निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के लिए परीक्षा का स्वरूप अलग–अलग होगा।

6 (ख) अधोलिखित नियम 8, 9, 11 एवं 13 सहायक ग्रेड के संबंध में, नियम 14 (i) निम्नवर्गीय लिपिक के संबंध में तथा नियम 14 (ii) आशुलिपिक ग्रेड के संबंध में लागू होंगे।

6 (ग) परीक्षाओं की प्रक्रिया का निर्धारण, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

6 (घ) यदि आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया जाता है तो प्रारम्भिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्तियों के 5 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से किया जायेगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही सामान्य मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा।

5. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 14 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

14. (i) निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड में सीधी भर्त्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम –

(क) लिखित परीक्षा तीन विषयों, यथा हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र 3 (तीन) घंटे का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) का होगा। हिन्दी विषय में कम–से–कम 30 (तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा यह विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय रहेगा। शेष दो विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकण जाँच में सम्मिलित होना होगा। कम्प्यूटर पर उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा। इस जाँच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

14. (ii) आशुलिपिक ग्रेड में सीधी भर्त्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम –

(क) लिखित परीक्षा एक पत्र में तीन विषयों, यथा 1.हिन्दी भाषा एवं अनुच्छेद (100 अंक), 2.सामान्य अध्ययन (50 अंक) तथा 3.तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच (50 अंक) में ली जायेगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं 3 (तीन) घंटे की होगी। प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो, किन्तु सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से अन्यून हो, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आशुलेखन एवं टंकण जाँच में सम्मिलित होना होगा। उम्मीदवारों की अर्हता की व्यावहारिक जाँच के आधार पर आयोग मेधा सूची (पैनल) तैयार कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अनुशंसा भेजेगा।

(ग) आशुलेखन जाँच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा। इसके पूर्व एक मिनट का समय श्रुतिलेख जाँच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर पर उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

15. सेवावार मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कराई जायेगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15/4/15

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/लि०से०–22–18/2014 का०–3384/राँची, दिनांक 15/04/2015
प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/लि०से०–22–18/2014 का०–3384/राँची, दिनांक 15/4/2015
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/15
सरकार के प्रधान सचिव।